



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-19112022-240427
CG-HR-E-19112022-240427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737]
No. 737]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 826(अ).—सूखे अंजीर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2022 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का विचार है, को उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

सभी आपत्तियों अथवा सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियाँ अथवा सुझाव यदि कोई हों, तो वह कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को अग्रेषित किए जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ— (1) इन नियमों का नाम सूखे अंजीर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2022 है।

(2) ये नियम मानव खपत के प्रयोजनार्थ फाइक्स कैरिका एल. की किस्मों (कल्टिवार) के पके फलों से प्राप्त पूरे सूखे अंजीर पर लागू होंगे।

(3) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “कृषि विपणन सलाहकार” से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) “प्राधिकृत पैकर” से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों एवं साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार सूखे अंजीर का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो;

(ग) “प्राधिकार प्रमाण पत्र” से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा सूखे अंजीर के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है;

(घ) “साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम” से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(ङ) “श्रेणी अभिधान चिह्न” से नियम 3 में निर्दिष्ट “एगमार्क प्रतीक चिह्न” अभिप्रेत है;

(च) “विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम” से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2022 अभिप्रेत है एवं ;

(छ) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम या नियम में हैं;

3. श्रेणी अभिधान चिह्न— श्रेणी अभिधान चिह्न में “एगमार्क प्रतीक चिह्न” का डिज़ाइन होगा जो अनुसूची-1 में निर्धारित डिज़ाइन के सदृश्य होगा जिसमें प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्यांक, शब्द ‘एगमार्क’, वस्तु का नाम और श्रेणी शामिल होंगे।

4. श्रेणी अभिधान—सूखे अंजीर की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जैसा कि अनुसूची-II के श्रेणी अभिधान हेतु मापदंड में वर्णित किया गया है।

5. गुणवत्ता—इन नियमों के प्रयोजन के लिए सूखे अंजीर की गुणवत्ता अनुसूची-II में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।

6. पैकिंग करने की विधि— (1) सूखे अंजीर को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 और विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार उचित पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।

(2) समान लॉट या बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा;

(3) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का सूखा अंजीर होगा;

(4) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके;

7. चिह्नांकन की विधि — (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा;

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा:-

(क) वस्तु का नाम;

(ख) श्रेणी;

- (ग) किस्म या ट्रेड का नाम (वैकल्पिक);
- (घ) लॉट/बैच संख्या;
- (ङ) पैकिंग की तारीख;
- (च) फसल वर्ष (वैकल्पिक)
- (छ) शुद्ध भार;
- (ज) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता;
- (झ) अधिकतम खुदरा मूल्य; (सभी कर सहित)
- (ञ)माह....वर्ष के पूर्व उपयोग हेतु सर्वोत्तम;
- (ट) विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2022 या खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के तहत निर्दिष्ट अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून के तहत जारी अधिसूचना अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किन्हीं अनुदेशों के तहत निर्दिष्ट कोई अन्य विवरण, बशर्ते कि पैकेजों पर अंकन के लिए सही गुणवत्ता की स्याही का उपयोग किया जाएगा।

(3) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अंतर्गत श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित कर सकता है, परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित गुणवत्ता से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित नहीं करेगा।

8. प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें— (1) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर इस नियम में निर्दिष्ट सभी शर्तों का पालन करेगा।

(2) सूखे अंजीर की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 8 के तहत जारी मापदंडों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी अथवा एसोसिएशन प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला के साथ संपर्क करेगा जिसका प्रबंधन साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जा रहा हो।

(3) प्राधिकृत पैकर के परिसर को समुचित संवातन और प्रकाश सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशा में रखा जाएगा। इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।

(4) प्राधिकृत पैकर के परिसर में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह नमी, किसी तरह की दरारों, कृतकों और कीटों से मुक्त होगा।

(5) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेंगे जो समय-समय पर साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए हों।

अनुसूची-I**(नियम 3 देखें)**

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)



वस्तु का नाम.....

श्रेणी.....

अनुसूची -II**(नियम 4 और 5 देखें)**

सूखे अंजीर का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता:

1. सूखे अंजीर, अंजीर के पेड़ (फाइकस कैरिका) के ठोस, पर्याप्त रूप से परिपक्व/ विकसित या पके फलों को धूप में सुखाकर या अन्य मान्यता प्राप्त विधियों का प्रयोग करके या निर्जलीकरण द्वारा सुखाकर और दबाने की प्रक्रिया से प्राप्त किए जाते हैं।
2. न्यूनतम अपेक्षाएं :
 - (i) सूखे अंजीर में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी –
 - (क) पूर्ण, अंजीर के डंठल और आँख (ओस्टियोलेम) के भाग से मुक्त होगा;
 - (ख) साबुत, साफ और ठोस होगा तथा सड़न या दूषण से प्रभावित नहीं होगा;
 - (ग) सूखे अंजीर के रंग, स्वाद और गंध की विशेषता से युक्त होगा और उत्पाद की बनावट गुणवत्तापरक होगी;
 - (घ) किसी भी प्रकार के दृश्य विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा, तथापि प्राकृतिक रूप से क्रिस्टलीकृत चीनी को विजातीय पदार्थ या दोष नहीं माना जाएगा;
 - (ङ) जीवित कीट और कीटों द्वारा क्षतिग्रस्तता से मुक्त होगा तथा मृत कीटों और /माइट्स, उनके अवशेष या अवशिष्ट से मुक्त होगा;
 - (च) नग्न आँखों से दृष्टिगोचर फफूंद से मुक्त होगा;
 - (छ) किसी विजातीय गंध और या स्वाद, कृत्रिम रंजक पदार्थ, बासीपन, खमीरीकरण या फफूंद से मुक्त होगा;
 - (ii) घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषक, कीटनाशक अवशेष, सूक्ष्मजीव अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं अथवा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन अधिसूचित किसी भी अन्य विनियम का अनुपालन करेगा।
 - (iii) निर्यात के मामले में यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा निर्धारित भारी धातुओं और कीटनाशकों की अवशिष्ट सीमाओं तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों अथवा आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

3. सूखे अंजीर के श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड

तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की सीमा (वजन के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)					सूखे अंजीर जो एक ही किस्म या समान किस्म के बीच रंग में स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं (गणना के अनुसार %) (अधिकतम)	आकार (मिलिमीटर में व्यास) (न्यूनतम)
	नमी	कुल भस्म (ओडीबी)*	तनु HCl में अघुलनशील भस्म (ओडीबी)*	बाहरी/ विजातीय पदार्थ	क्षतिग्रस्त		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विशेष	11.5	3.0	0.12	0.25	शून्य	शून्य	34.0
मानक	13.5	3.4	0.20	0.50	शून्य	10.0	30.0
सामान्य	15.0	4.0	0.30	0.50	20.0	25.0	24.0

• ओडीबी: शुष्क भार आधार HCl: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

इस तालिका के प्रयोजनार्थ स्पष्टीकरण :

“क्षतिग्रस्त” का अर्थ है कि सूखे अंजीर जो कीटों या धूप से झुलसने या फटने या यांत्रिक चोट से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या इस सीमा तक अत्यधिक सूख जाते हैं जिससे उत्पाद का आकार, भोज्यता और गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो।

4. अन्य अपेक्षाएँ:

(i) सूखे अंजीर की स्थिति ऐसी होगी कि वह -

(क) यातायात और हैंडलिंग की स्थिति का सामना कर सके; और

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके।

(ii) सूखे अंजीर का भंडारण ठंडे एवं शुष्क स्थान पर किया जाएगा तथा साफ और स्वास्थ्यपरक दशा में रखा जाएगा।

[फा.सं. क्यू-11047/09/सूखा अंजीर/2022- मानक]

डॉ. एन. विजया लक्ष्मी, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2022

G.S.R 826(E).—the following draft of the Dried Figs Grading and Marking Rules, 2022 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) is hereby published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the above said period shall be taken into consideration by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, in respect of the said draft rules may be forwarded to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001.

DRAFT RULES

1. Short title, application and commencement—(1) These rules may be called the Dried Figs Grading and Marking Rules, 2022.

(2) They shall apply to whole dried figs obtained from ripe fruits of varieties (cultivars) of *Ficus carica* L. intended for direct human consumption.

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions—(1) In these rules, unless the context otherwise requires-

- (a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
- (b) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorization to grade and mark the Dried Figs in accordance with the grade standards and procedure provided under these rules and the General Grading and Marking Rules, 1988;
- (c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Dried Figs with the Grade Designation Mark;
- (d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
- (e) "Grade Designation Mark" means "AGMARK Insignia" referred to in rule 3;
- (f) "Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules" means the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2022, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010); and
- (g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 or the General Grading and Marking Rules, 1988, shall have the same meaning as are assigned to them under the said Act or the Rules.

3. Grade Designation Mark—The Grade Designation Mark shall consist of the design of "AGMARK Insignia" as set out in Schedule-I, incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", the name of commodity and its grade.

4. Grade designations—The grade designations to indicate the quality of Dried Figs including the criteria for grade designation shall be as set out in Schedule-II.

5. Quality—For the purpose of these rules, the quality of Dried Figs shall be as provided in Schedule-II.

6. Method of packing—(1) Dried Figs shall be packed in suitable packaging material in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020 and Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2022.

(2) The graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with the Grade Designation Mark.

(3) Each package shall contain Dried Figs of the same type and of the same grade designation.

(4) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling.

7. Method of Marking— (1) The Grade Designation Mark shall be securely affixed to or printed on each package in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(2) In addition to the Grade Designation Mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely-

- (a) name of the commodity;
- (b) grade;
- (c) variety or trade name(optional);
- (d) lot/batch number;
- (e) date of packing;
- (f) crop year (optional);
- (g) net weight;
- (h) name and address of the authorised packer;
- (i) maximum retail price (inclusive of all taxes);
- (j) BEST BEFORE _____MONTH _____YEAR; and
- (k) any other particulars as provided under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2022 or specified under the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Food Safety and Standards (Labeling and Display) Regulations, 2020 or any notification issued under any other law for the time being in force or any instructions issued under the provisions of the Act, provided that right quality of ink shall be used for marking on packages.

(3) The authorised packer may after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided the same do not indicate quality other than that indicated by the Grade Designation Mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Special conditions of Certificate of Authorisation— (1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, every authorised packer shall comply the conditions specified under these rules.

(2) The authorised packer shall either set up his own laboratory as per norms issued under rule 8 of the General Grading and Marking Rules, 1988, or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorised by him under rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988, for testing the quality of Dried Figs.

(3) The premises of the authorised packer shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The premises of the authorised packer shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation.

(5) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules, 1988 from time to time.

SCHEDULE-I
(See rule 3)
(Design of AGMARK Insignia)



Name of the Commodity-----

Grade-----

SCHEDULE-II

(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of Dried Figs

1. Dried figs are obtained by drying the substantially sound, reasonably mature/sufficiently developed or ripe fruits of the fig tree (*Ficus carica*) either by the process of sun-drying or using any other recognized methods of drying or dehydration and subsequent pressing.

2. Minimum requirements:

- (i) Dried Figs shall-
 - (a) be intact, the stem and the eye (ostiolum) ends of the fig may be removed;
 - (b) be sound, clean and wholesome and not affected by rotting or deterioration;
 - (c) have colour, flavor and odour characteristic of dried fig and possess texture characteristic of the product;
 - (d) be free of any visible foreign matter, however naturally crystallized sugar is not considered foreign matter or defect;
 - (e) be free from living pests and damage caused by pests, including the presence of dead insects and/or mites, their debris or excreta;
 - (f) be free from mould filaments visible to the naked eye;
 - (g) be free from any off flavor, foreign smell and/or taste, any artificial coloring matter, mustiness, rancidity or evidence of fermentation;
- (ii) For domestic trade, it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and other regulations made for domestic trade under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).
- (iii) For export trade, it shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirement for exports.

3. Criteria for grade designation of Dried Figs:

Table

Grade designation	Limit of tolerance (maximum) (% by weight)					Dried figs that are distinctly different in colour among same variety or similar variety (% by count) (max.)	Size (diameter in mm) (min.)
	Moisture	Total ash content, (odb)*	Ash insoluble in dilute HCl (odb)*	Extraneous/Foreign matter	Damaged		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	11.5	3.0	0.12	0.25	Nil	Nil	34.0
Standard	13.5	3.4	0.20	0.50	Nil	10.0	30.0
General	15.0	4.0	0.30	0.50	20.0	25.0	24.0

*odb : On dry basis; HCl: Hydrochloric acid

Explanation for the purpose of this Table:

“Damaged” means dried figs which are damaged by pests or sunscald or split or torn or mechanical injury or excessively dried to such an extent which seriously affects the appearance, edibility and keeping quality of the product.

4. Other requirements:

- (i). The condition of the Dried Figs shall be so as to enable it to-
 - (a) withstand transport and handling; and
 - (b) arrive in satisfactory condition at the place of destination.
- (ii). Dried Figs shall be stored in a cool and dry place and properly maintained in a clean and hygienic condition.

[F. No.Q-11047/09/Dried Figs/2022-Std.]

Dr. N. VIJAYA LAKSHMI, Jt. Secy. (Marketing)